



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234911  
CG-DL-E-06042022-234911

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]  
No. 267]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2022/चैत्र 16, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2022/CHAITRA 16, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2022

**सा.का.नि. 279(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धाराओं (1) और (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2022 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में, नियम 14 में, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) उप-नियम (1) तथा (2) में सन्निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी कंपनी के सदस्यों के संबंध में रजिस्टर या अनुक्रमणिका या विवरणी के निम्नलिखित विवरण धारा 94 की उप-धारा (2) के तहत किसी निरीक्षण अथवा धारा 94 की उप-धारा (3) के तहत उद्धरणों या प्रतियों को लेने के लिए उपलब्ध नहीं कराए जायेंगे, अर्थात्:-

- पता/पंजीकृत पता (किसी कारपोरेट निकाय के मामले में);
- ई-मेल आईडी;

iii. विशिष्ट पहचान संख्या;

iv. पैर नंबर;”

[फा. सं. 01/34/2013-सीएल-V-(भाग-II)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना तारीख 31 मार्च, 2014 की संख्या सा.का.नि.260(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी तथा तदनुपरांत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित की गई:-

क्र.सं. (1)	अधिसूचना संख्या (2)	अधिसूचना की तारीख (3)
1.	सा.का.नि.415(अ)	23.06.2014
2.	सा.का.नि.537(अ)	24.07.2014
3.	सा.का.नि.669(अ)	28.08.2015
4.	सा.का.नि.737(अ)	24.09.2015
5.	सा.का.नि.862(अ)	16.11.2015
6.	सा.का.नि.908(अ)	23.09.2016
7.	सा.का.नि.175(अ)	16.02.2018
8.	सा.का.नि.560(अ)	13.06.2018
9.	सा.का.नि.538(अ)	28.08.2020
10.	सा.का.नि.159(अ)	05.03.2021

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2022

**G.S.R. 279(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, in rule 14, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), the following particulars of the register or index or return in respect of the members of a company shall not be made available for any inspection under sub-section (2) or for taking extracts or copies under sub-section (3) of section 94, namely:-

- i. address or registered address (in case of a body corporate);
- ii. e-mail ID;
- iii. Unique Identification Number;
- iv. PAN Number.”.

[F. No. 01/34/2013 CL-V (Pt-II)]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 260(E) dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications :-

Serial Number (1)	Notification Number (2)	Notification Date (3)
1.	G.S.R. 415 (E)	23.06.2014
2.	G.S.R. 537 (E)	24.07.2014
3.	G.S.R. 669 (E)	28.08.2015
4.	G.S.R. 737 (E)	24.09.2015
5.	G.S.R.862 (E)	16.11.2015
6.	G.S.R.908 (E)	23.09.2016
7.	G.S.R.175 (E)	16.02.2018
8.	G.S.R. 560 (E)	13.06.2018
9.	G.S.R. 538 (E)	28.08.2020
10.	G.S.R. 159 (E)	05.03.2021